

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1894094 /  
ग्रा0वि0-11/बि0वि0प0-28/2023

पटना/ दिनांक 07/07/2023

प्रेषक

राम कुमार पोद्दार,  
उप मिशन निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
योजना एवं विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय :- श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार), मा0स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/45 (डी0सी0-01) के हस्तांतरण के संबंध में।  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार), मा0स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/45 (डी0सी0-01) का विषयवस्तु योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है ।

अतः तारांकित प्रश्न सं0-Neva- 1/204/45 (डी0सी0-01) की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रश्नोत्तर बिहार विधान परिषद सचिवालय को भेजने की कृपा की जाय ।

इसकी सूचना बिहार विधान परिषद सचिवालय को भी प्रेषित की जा रही है।  
अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(राम कुमार पोद्दार)

उप मिशन निदेशक

पटना, दिनांक 07/07/2023

ज्ञापांक 1894094 /

प्रतिलिपि- बिहार विधान परिषद के प्रश्नोत्तर शाखा (NEVA) एवं अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय के ज्ञापांक- 2640 (5) दिनांक 01.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त तारांकित प्रश्न को ग्रामीण विकास विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

ज्ञापांक 1894094 /

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप मिशन निदेशक

पटना, दिनांक 07/07/2023

उप मिशन निदेशक

क्रमांक 26406 (प्र०) वि०प०

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

सेवा में

आर्थिक विकास विभाग

पटना, दिनांक

01/06/23

20

श्री श्री राजेश कुमार सिंह

कें 204 वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या

म(वि०प०) द्वारा बिहार विधान परिषद्  
जिस रूप में सभापति द्वारा

स्वीकृत किया गया है, संवेष्टित है।

इन तारांकित प्रश्नों को सदन के कार्यक्रम पर लाये जाने की तिथि शीघ्र ही सूचित की जायेगी।

अवर-सचिव,  
बिहार विधान परिषद्।

वर्ग- 1

नेवा नं.- 1/204/45

तारांकित प्रश्न संख्या- डी. सी- 1

माननीय सदस्य- डॉ. अजय कुमार सिंह

जिलों को स्पष्ट निर्देश

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से बिहार विधान परिषद् के सदस्य द्वारा अनुशंसित की जाने वाली योजनाओं में प्रखंड मुख्यालय परिसर में सामुदायिक भवन के निर्माण का एन.ओ.सी सरकार के स्तर पर देना सुनिश्चित किया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रखंड परिसर में प्रखंड व अंचल स्तर पर एन.ओ.सी. का प्रावधान था और जिला स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती थी;
- (ग) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के बसंतपुर, सुपौल, मरौना, पिपरा एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड परिसर में मेरे द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण की अनुशंसा प्रखंड व जिला स्तर पर छह महीनों से भी अधिक समय से लंबित है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने स्तर से बिहार के जिलों को स्पष्ट निर्देश देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

Bihar Vidhan Parishad Question

①

1/204/45

जिलों को स्पष्ट निर्देश

22/06/2023

22/06/2023

\*1/204/45 श्री अजय कुमार सिंह(सहरसा स्थानीय प्राधिकार )

ग्रामीण विकास

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से बिहार विधान परिषद् के सदस्य द्वारा अनुशंसित की जाने वाली योजनाओं में प्रखंड मुख्यालय परिसर में सामुदायिक भवन के निर्माण का एन.ओ.सी सरकार के स्तर पर देना सुनिश्चित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रखंड परिसर में प्रखंड व अंचल स्तर पर एन.ओ.सी. का प्रावधान था और जिला स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती थी;

(ग) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के बसंतपुर, सुपौल, मरौना, पिपरा एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड परिसर में मेरे द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण की अनुशंसा प्रखंड व जिला स्तर पर छह महीनों से भी अधिक समय से लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने स्तर से बिहार के जिलों को स्पष्ट निर्देश देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

----

Th to planning development